प्रेस नोट   *जनपद संतकबीरनगर*   *दिनाँक 01.09.2026*

साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ित को थाना दुधारा की साइबर सेल टीम ने दिलाई राहत 10,000 रु0 की धनराशि कराई वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना दुधारा टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवेदक के फ्राड का 10,000 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री अब्दुल हसीब पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम सेमरियावाँ थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा बी०एड० में प्रवेश दिलाने के सम्बन्ध में एक व्यक्ति से सम्पर्क किया गया था। उक्त व्यक्ति के कहने पर आवेदक द्वारा 10,000 (दस हजार रुपये) हस्तांतरित किये गये थे, धनराशि हस्तांतरित किये जाने के उपरान्त उक्त व्यक्ति द्वारा आवेदक का फोन रिसीव नहीं किया जा रहा था, जिससे आवेदक को अपने साथ साइबर ठगी होने की आशंका हुई। इस पर आवेदक द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल कर साइबर शिकायत दर्ज करायी गयी। उक्त शिकायत की जाँच के क्रम में साइबर सेल थाना दुधारा द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति से समन्वय स्थापित किया गया, जिसके उपरान्त उक्त व्यक्ति द्वारा आवेदक से सम्पर्क कर उसकी 10,000 रु0 की सम्पूर्ण धनराशि वापस कर दी गयी। आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं साइबर हेल्प डेस्क दुधारा की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर सेल टीम:- थानाध्यक्ष श्री अमित कुशवाहा, प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, का0 अनुज कुमार, का0 ऋषिकेश यादव, का0 हर्ष सिंह व म0 का0 एकता सिंह।

अपील- जनमानस से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

सन्तकबीरनगर पुलिस - आपकी सेवा में सदैव तत्पर

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त नाम पता 01. गोविन्द निषाद पुत्र शिवप्रसाद निषाद निवासी महुली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर, 02. बिन्ध्याचल पुत्र दयाशंकर निवासी बेल्डुहा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, उ0नि0 श्री सुरेश यादव, का0 सुनील कुमार सिंह, का0 विजय गौतम, का0 अजीत गुप्ता।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 40 वाहनों से 41,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 01.09.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 40 वाहनों से 41,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 01.09.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह (पूर्ति निरीक्षक हैसर बाजार संतकबीरनगर) द्वारा थाना धनघटा पर बावत अभियुक्त इन्द्रजीत राय पुत्र राजदेव राय निवासी बेसवारी गांव थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 04.09.2018 को नीले रंग के ड्रम में 200 लीटर मिट्टी का तेल ले जाते हुए बरामद किया गया था।

मिट्टी के तेल का अवैध भण्डारण/कालाबाजारी करने के सम्बन्ध में थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि श्री मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 506/2018 धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3/7 ई0सी0 में जेल में बिताई गयी अवधि एवं 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

जनशिकायतों के निस्तारण में माह अगस्त-2026 की आईजीआरएस मासिक रैंकिंग में जनपद संतकबीरनगर प्रदेश में प्रथम

लगातार पंद्रहवीं बार जनपद संतकबीरनगर ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर कायम रखा उत्कृष्ट प्रदर्शन

पुलिस अधीक्षक श्री *संदीप कुमार मीना* के प्रभावी निर्देशन एवं गुणवत्तापूर्ण जनसुनवाई का दिखा सकारात्मक परिणाम

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के प्रभावी निर्देशन एवं सतत पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर पुलिस ने आईजीआरएस पोर्टल पर जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के आधार पर माह अगस्त-2026 की मासिक रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि जनपद ने लगातार पंद्रहवीं बार प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का परिचय दिया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि थाने पर आने वाले प्रत्येक फरियादी एवं शिकायतकर्ता के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार करते हुए उनकी शिकायतों का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाए।

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। प्राप्त प्रत्येक संदर्भ की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर निष्पक्ष एवं तथ्यों के आधार पर की जाती है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

जनपद स्तर पर शासन एवं पुलिस अधिकारियों से प्राप्त सभी आईजीआरएस संदर्भों की नियमित एवं गहन समीक्षा की जाती है। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत उसका भी सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। यदि जांच संतोषजनक अथवा पुष्टिकारक नहीं पाई जाती है, तो संबंधित संदर्भ को पुनः जांच हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देशों के साथ वापस किया जाता है, जिससे शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

उल्लेखनीय है कि माह अगस्त-2026 की आईजीआरएस मासिक रैंकिंग में जनपद के 10 थानों में से सभी 10 थानों ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो जनपद पुलिस की उत्कृष्ट कार्यशैली एवं प्रभावी मॉनिटरिंग का प्रमाण है।

पुलिस अधीक्षक *श्री संदीप कुमार मीना* ने इस उपलब्धि पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार जनसुनवाई एवं जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मृत्यु उपरांत 04 हिस्ट्रीशीटरों के हिस्ट्रीशीट खाका नियमानुसार जलाकर नष्ट किए गए

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों की निगरानी एवं आपराधिक अभिलेखों के नियमानुसार रख-रखाव हेतु लगातार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनाँक 01.09.2026 को थाना धनघटा क्षेत्र के 04 हिस्ट्रीशीटरों की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके हिस्ट्रीशीट खाका को नियमानुसार नष्ट किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के आदेश के क्रम में मृत 01. एचएस नं0 09ए भरत पुत्र सत्तन हरिजन निवासी गोपियापुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 02. एचएस नं0 33ए दयाराम पुत्र पराग निवासी भरतपुरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 03. एचएस नं0 26ए सफी नट पुत्र झीनक उर्फ साहबदीन निवासी मैली थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर 04. एचएस नं0 61ए हरीलाल पुत्र देवनारायन निवासी बगही थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के हिस्ट्रीशीट खाकों को क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** एवं प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री दिलीप सिंह*** की उपस्थिति में प्रधान लेखक बाबूलाल देवमूर्ति द्वारा थाना प्रांगण स्थित कार्यालय के सामने नियमानुसार जलाकर नष्ट किया गया। इस दौरान हिस्ट्रीशीट संबंधी अभिलेखों के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। जनपद पुलिस द्वारा आपराधिक अभिलेखों को अद्यतन रखने तथा नियमानुसार अभिलेखीय कार्यवाही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।